का0आ0सं0ः-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-10/2019.............दिनांक-

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

आदेश

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन) आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना के पत्रांक-1428 दिनांक-15.04.19 द्वारा सूचित किया गया कि श्री राहुल, पिता-श्री सुरेश प्रसाद सिंह, बी०-41, व्यासनगर, पो0-आशियानानगर, जिला-पटना, पिन-800025 द्वारा पाषाण शिल्प सामान्य सुलभ सेवा केन्द्र, पत्थरकट्टी के Redevelop के कार्य हेतु निविदा में कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, राजगीर प्रमण्डल, राजगीर के कार्यालय से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था, जिसे संबंधित कार्यालय से निर्गत नहीं होने की पुष्टि हुई ।

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन) द्वारा संवेदक श्री राहुल, पिता-श्री सुरेश प्रसाद सिंह, बी०-41, व्यासनगर, पो0-आशियानानगर, जिला-पटना, पिन-800025 के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया ।

निदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन) के उक्त पत्र पर दिनांक-15.05.19 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदको के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में विचार किया गया। समिति द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक-5111 दिनांक-06.06.2019 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पूछा गया।

संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण में संवेदक द्वारा उल्लेख किया गया कि बिहार पुलिस, भवन निर्माण निगम, राजगीर प्रमंडल, राजगीर(नालंदा) के कार्यालय से निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र सही है।

संवेदक के स्पष्टीकरण पर दिनांक-26.06.2019 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निबंधन/कालीकरण संबंधी बैठक में विचार किया गया। समिति द्वारा संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में पुनः कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यता की पुष्टि संबंधित कार्यपालक अभियंता से कराने का निर्णय लिया गया। तदनुसार विभागीय पत्रांक-6330 दिनांक-10.07.2019 द्वारा कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, राजगीर प्रमंडल, राजगीर (नालंदा) को संवेदक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण की छायाप्रति भेजते हुए अनुभव प्रमाण-पत्र की सत्यता की जाँच कर सुस्पष्ट प्रतिवेदन की माँग की गयी ।

कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, राजगीर प्रमंडल, राजगीर (नालंदा) के पत्रांक-553 दिनांक-17.07.2019 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ कि उक्त कार्यालय के पत्रांक-1047 दिनांक-15.09.2014 द्वारा कोई भी अनुभव प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं है और अनुभव प्रमाण-पत्र में उल्लिखित कार्य की कोई भी उप संचिका कार्यालय में नहीं हैं । कार्यपालक अभियंता द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि नालंदा जिलान्तर्गत सोहसराय थाना में 4यू०एस० आवास का निर्माण कार्य श्री राहुल(संवेदक) द्वारा सम्पन्न किया गया है । श्री राहुल द्वारा दिनांक-23.01.2019 को अनुभव प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु एक आवेदन कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में दिया गया जिसके आलोक में पत्रांक-38 दिनांक-23.01.2019 द्वारा संवेदक को अनुभव प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया ।

इस मामले में 04.09.2019 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में विचार किया गया। समीक्षोपरान्त समिति द्वारा संवेदक के निबंधन को 03(तीन) वर्षो के लिए कालीकृत करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में संवेदक श्री राहुल, पिता-श्री सुरेश प्रसाद सिंह, बी०-41, व्यासनगर, पो0-आशियानानगर, पटना-800025 के निबंधन सं0-प्रथम(व्यक्तिगत) उत्क्रमित-60(भवन)/2016 को आदेश निर्गत होने की तिथि से अगले 03(तीन) वर्षो के लिए कालीकृत किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(योगेन्द्र सिंह)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-10/2019...8423(भ)... पटना,दिनांक- 18/9/19

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपिः-श्री राहुल, पिता-श्री सुरेश प्रसाद सिंह, बी०-41, व्यासनगर, पो0-आशियानानगर, जिला-पटना, पिन-800025 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/9/17

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव